"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
केपीएस प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 2रा तल, एस-2, पॉकेट एस, ओखला, फेज-2, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110020 पर स्थित है, के मामले में
.....आवेदक

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से बदलकर "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 26 मई, 2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय क) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को उनके पतेः बी-2 विंग, 2 रा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः
2रा तल, एस-2, पॉकेट एस, ओखला, फेज-2, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110020

आवेदक की ओर से और उनके लिए
केपीएस प्रॉपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(संजय कुमार अग्रवाल)
निदेशक
DIN: 00461858
पताः डी-59, कमला नगर, आगरा-282005

दिनांकः 17-06-2026
स्थानः दिल्ली

फार्म नं. आईएनसी-26
[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से अन्य राज्य में बदलने के लिए अखबार में प्रकाशित विज्ञापन
केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003,
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के उप नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
मार्कोपोलो सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन नं. - U26990DL2020PTC370743 जिसका पंजीकृत कार्यालयः सी 357 न्यू अशोक नगर, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली भारत 110096 के मामले में
.....याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव असाधारण आम बैठक में कम्पनी को सक्षम करने हेतु बीरवार 12.02.2026 को आयोजित बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में बदलने हेतु पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी का इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हो, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय पर इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर भेज दें।

मार्कोपोलो सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः सी 357 न्यू अशोक नगर ईस्ट दिल्ला, दिल्ली भारत 110096
कृते और हिते
मार्कोपोलो सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड

नितिका चड्ढा (निदेशक) (डीआईएनः 08899905)	प्रवीण अशोक टोंसेकर (निदेशक) (डीआईएनः 08899906)

दिनांकः 17.06.2026

फॉर्म आईएनसी-25ए
(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के उप-नियम (2) के अनुसार)
क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम, जो सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने से संबंधित हैं।
और
गोमांतक एक्सिमिस लिमिटेड, CIN: U55101DL1990PLC039057, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय 72, जनपथ, नई दिल्ली 110001 में है, के मामले में।
......याचिकाकर्ता

आम जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत केंद्र सरकार को एक आवेदन देना चाहती है, जिसमें "गोमांतक एक्सिमिस लिमिटेड", जो एक पब्लिक कंपनी है जिसका CIN: U55101DL1990PLC039057 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय 72, जनपथ, नई दिल्ली-110001 है, को "गोमांतक एक्सिमिस प्राइवेट लिमिटेड" के नाम और स्टाइल में एक प्राइवेट कंपनी में बदलने की मंजूरी मांगी गई है।

प्रस्तावित बदलाव को मंजूरी देने वाला विशेष प्रस्ताव, सोमवार, 15 जून, 2026 को 72, जनपथ, नई दिल्ली - 110001 स्थित पंजीकृत कार्यालय में आयोजित असाधारण आम बैठक में कंपनी के सदस्यों द्वारा पास किया गया।

अगर किसी व्यक्ति के हितों पर कंपनी के प्रस्तावित बदलाव का बुरा असर पड़ने की संभावना है, तो वह इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से इक्कीस (21) दिनों के अंदर अपनी आपत्तियां (यदि कोई हों) क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, को भेज सकता है या indana69@gmail.com पर कंपनी को ईमेल कर सकता है। साथ ही, इसकी एक कॉपी ऊपर बताए गए पंजीकृत कार्यालय के पते पर कंपनी को भी भेजनी होगी।

कृते और उनकी ओर से
गोमांतक एक्सिमिस लिमिटेड
हस्ता/-
राकेश वशिष्ठ
(निदेशक)
डीआईएनः 00516784

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17.06.2026

ORIENT BELL LIMITED

सीआईएन L14101UP1977PLC021546
पंजीकृत कार्यालयः - 8, इंडस्ट्रियल एरिया, सिकंदराबाद - 203205, जिला बुलंदशहर, यू.पी
कॉर्पोरेट कार्यालयः - आइरिस हाउस, 16, बिजनेस सेंटर, नांगल राया, नई दिल्ली - 110046
टेलीफोनः - +91-11-47119100, ईमेल आईडीः investor@orientbell.com
वेबसाइटः www.orientbell.com

शेयरधारकों के लिए सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ("सेबी") के सर्कुलर नंबर HO/38/13/11(2)2026-MIRSD&POD/1/3750/2026 तारीख 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक साल के लिए एक स्पेशल विंडो खोली गई है। यह विंडो उन फिजिकल सिक्योरिटीज के ट्रांसफर और डीमटेरियलाइजेशन ("डीमैट") की सुविधा के लिए बनाई गई है जिन्हें 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेचा या खरीदा गया था। इसमें वे ट्रांसफर रिक्वेस्ट भी शामिल हैं जो पहले सबमिट की गई थीं लेकिन अधूरे डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेस में कमियों या अन्य कारणों से रिजेक्ट, वापस या बिना कार्रवाई के छोड़ दी गई थीं। इस अवधि के दौरान, ट्रांसफर की गई कोई भी सिक्योरिटी ट्रांसफरी के खाते में सिर्फ डीमैट मोड में ही क्रेडिट की जाएगी और ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल के लॉक-इन के अधीन होगी। कृपया ध्यान दें कि लॉक-इन अवधि के दौरान इन सिक्योरिटीज को ट्रांसफर, लियन-मार्क या गिरवी नहीं रखा जा सकता है, और ऐसी ट्रांसफर-कम-डीमैट रिक्वेस्ट के लिए सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया ऊपर बताए गए सेबी सर्कुलर को देखें।

जो निवेशक इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं या इसके लिए अनुरोध करना चाहते हैं, उन्हें जरूरी दस्तावेज ओरिएंट बेल लिमिटेड के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (पताः 179-180, तीसरी मंजिल, डीएसआईडीसी शेड्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 फोन नंबरः +91-11-41406149 ईमेलः admin@mcsregistrars.com को भेजने चाहिए, या फिर कंपनी को investor@orientbell.com ईमेल आईडी पर भेजने चाहिए।

ओरिएंट बेल लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
योगेश मेंदिरत्ता
कंपनी सचिव एवं प्रमुख-लीगल

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जून, 2026

orientbell tiles

आरसीसी सीमेंट लिमिटेड

सीआईएन : L26942DL1991PLC043776
रजिस्टर्ड ऑफिसः 702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
टेलीफोनः 91-11-43571042; फैक्सः 91-11-43571047
ईमेलः rcccementslimited@gmail.com; वेबसाइटः www.rcccements.com

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित शेयर सर्टिफिकेट खो/गायब हो गए हैं और उनके रजिस्टर्ड धारकों ने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कंपनी को आवेदन किया है।

फोलियो नं.	शेयर धारक का नाम	शेयर सर्टिफिकेट नं.	डिस्टिंक्टिव नंबर से	डिस्टिंक्टिव नंबर तक	शेयरों की संख्या
0000027	राकेश जैन एचयूएफ	00000191	001866501	001872500	6000
0000027	राकेश जैन एचयूएफ	00029541	000262601	000271600	9000
0000027	राकेश जैन एचयूएफ	00029542	001298101	001353100	55000
0000017	अमर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	29499	2045101	2293100	248000

एतदद्वारा जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे ऊपर बताए गए शेयर सर्टिफिकेट को न खरीदें और न ही उनसे संबंधित कोई लेन-देन करें। अगर किसी व्यक्ति का इन शेयर सर्टिफ़िकेट के संबंध में कंपनी पर कोई दावा है, तो उसे इस सूचना के प्रकाशित होने के 15 दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर स्थित कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में अपना दावा दर्ज कराना होगा। इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफ़िकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी।

आरसीसी सीमेंट लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षर/-
सचिन गर्ग
प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 03320351

दिनांक : 18.06.2026
स्थानः नई दिल्ली

Hero FINCORP

हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड

CIN: U74899DL1991PLC046774
पंजीकृत कार्यालयः 34, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057
कॉर्पोरेट कार्यालयः 9, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057
वेबसाइटः www.herofincorp.com, ईमेल - investors@herofincorp.com, टेलीफोनः 011-49487150

शेयरधारकों के लिए सूचना
विषयः कंपनी के इक्विटी शेयरों का IEPF (निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष) में स्थानांतरण

यह सूचना कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(5) और धारा 124(6) के प्रावधानों, जिसे कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, हस्तांतरण और वापसी) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम) और उसके बाद के संशोधनों के साथ पठित के अनुपालन में प्रकाशित की जा रही है।

तदनुसार, सभी आधारभूत इक्विटी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2018-19 (अंतिम लाभांश) से लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें आईईपीएफ नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

कंपनी ने उन सभी शेयरधारक(कों) को व्यक्तिगत रूप से सूचित भी किया है जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं। दावा न किए गए/अवैतनिक लाभांश और स्थानांतरित किए जाने योग्य संबंधित शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.herofincorp.com पर 'निवेशक' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले और जिनके शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं, कृपया ध्यान दें कि कंपनी उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी, जिनका डीमैट रूप में रूपांतरण किया जाएगा और बाद में आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा खोले गए डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। जारी होने पर, उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएँगे और उन पर समझौता नहीं किया जा सकेगा। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक(कों) के मामले में, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों का स्थानांतरण कंपनी द्वारा संबंधित डिपॉजिटरी के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्रवाई के माध्यम से किया जाएगा।

आईईपीएफ नियमों के अनुसार, सभी अंतर्निहित शेयर जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों तक दावा न किया गया/अवैतनिक रहा है, उन्हें अंतिम तिथि अर्थात 06 अक्टूबर, 2026 के बाद निर्धारित समयसीमा के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, ऐसे सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2018-19 के अवैतनिक लाभांश (अंतिम) का दावा करने के लिए 18 सितम्बर, 2026 तक कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (संपर्क विवरण इस सूचना के अंतिम पैरा में दिए गए हैं) को आवेदन करें, ताकि उनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित न किए जाएँ। यह ध्यान देने योग्य है कि यदि कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को उपरोक्त तिथि तक कोई दावा/आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी बिना किसी और सूचना के अंतर्निहित शेयरों को आईईपीएफ में हस्तांतरित करने के लिए बाध्य होगी। शेयरधारक ध्यान दें कि अवैतनिक/दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ बैंक/डीमैट खाते में हस्तांतरित शेयर, जिसमें ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभ, यदि कोई हों, शामिल हैं, आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा किए जा सकते हैं।

अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश का दावा करने के लिए, शेयरधारक(कों) से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, श्री नवीन चंद, मेसर्स एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड), नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058, फोनः +91 11 49411000, ईमेल आईडीः iepf.shares@in.mpms.mufg.com पर संपर्क करें।

कृते हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड
हस्ता./-
शिवेंद्र सुमन
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17.06.2026

---

*This advertisement is for information purposes only and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the same meaning assigned to them in the Letter of Offer dated March 29, 2025 (the **"Letter of Offer"** or **"LOF"**), filed on March 30, 2025 with the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**) and the stock exchanges, namely BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"** and together with BSE, **"Stock Exchanges"**).*

Fusion Finance

FUSION FINANCE LIMITED

(Formerly Fusion Micro Finance Limited)
Registered Office: H-1, C Block, Community Centre, Naraina Vihar, New Delhi, 110028, India
Corporate Office: Plot No. 86, Institutional Sector 32, Gurugram, Haryana 122001, India
Tel: +91- 011-46646600 / +91-124-6910500 | **Contact Person:** Vikrant Sadana, Company Secretary & Compliance Officer | **E-mail:** companysecretary@fusionfin.com
Website: www.fusionfin.com | **Corporate Identity Number:** L65100DL1994PLC061287

SECOND REMINDER CUM FORFEITURE NOTICE FOR PAYMENT OF FIRST AND FINAL CALL MONEY TO THE HOLDERS OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES (ISIN: IN9139R01028) OF FUSION FINANCE LIMITED (FORMERLY FUSION MICRO FINANCE LIMITED) HELD AS ON THE RECORD DATE I.E., NOVEMBER 11, 2025.

The Rights Issue Committee of the Company, duly authorized by the Board of Directors, approved issuance of a 'Second Reminder cum Forfeiture Notice' for payment of First and Final Call Money of ₹ 65.50 per Right Equity Share (comprising ₹ 5 each towards face value and ₹ 60.50 per Right Equity Share towards premium) due on the First and Final Call (**"Second Reminder cum Forfeiture Notice"**), to the holders of such partly paid-up equity shares on which the First and Final Call Money remains unpaid with interest @ 10% per annum for the delayed period from December 12, 2025 to June 21, 2026.

The Company has sent the Second Reminder cum Forfeiture Notice dated June 17, 2026, to the holders of partly paid-up equity shares who have not yet paid the First and Final Call Money.

The holders of the partly paid up equity shares of the Company may note that failure to pay the First and Final Call money along with interest thereon, as aforesaid, on or before July 06, 2026 shall render the partly paid up equity shares of the Company, including the amount already paid thereon, liable to be forfeited in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and the Letter of Offer dated March 29, 2025. The Company shall be entitled to deduct from any dividend payable to such members, if any, all sums of money outstanding on account of calls and interest due thereon in relation to the partly paid-up equity shares of the Company.

The payment period is from June 22, 2026 to July 06, 2026 (both days inclusive). Payment is to be made through Deposit of Cheque / Demand Draft with collection centre of Axis Bank Limited made payable to:

Resident Shareholders	FUSION FINANCE LTD - RIGHTS ISSUE - CALL MONEY R ACCOUNT*
Non-Resident Shareholders	FUSION FINANCE LTD - RIGHTS ISSUE -CALL MONEY NR ACCOUNT**

R - Residential shareholders / NR - Non- Residential shareholders*

'Second Reminder cum Forfeiture Notice' together with the instructions and payment slip can be downloaded from the Company's website: www.fusionfin.com or the Registrar's website: www.in.mpms.mufg.com.

Please read the instructions set out in the 'First and Final Reminder cum Forfeiture Notice' before making payment.

The holders of partly paid up equity shares of the Company may seek clarifications on any query related to the payment of first and final call money through toll free number +91 81081 14949 and Email to fusionfinance.callmoney@in.mpms.mufg.com.

The Shareholders who have made the payment of First and Final Call Money may consider this advertisement for information purpose only.

For Fusion Finance Limited
(Formerly Fusion Micro Finance Limited)
Sd/-
Vikrant Sadana
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 17.06.2026
Place: Gurugram

HeroHousing Finance

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

संपर्क पताः ए-6, तृतीय तल, सेक्टर-4, नोएडा - 201301
पंजीकृत कार्यालयः 09, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057
फोनः 011 49267000, टोल फ्री नं.: 1800 212 8800,
ई-मेलः customer.care@herohfl.com | वेबसाइटः www.herohousingfinance.com
CIN: U65192DL2016PLC30148

मांग सूचना

सरफेसी अधिनियम, 2002 (वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002) की धारा 13(2) के अंतर्गत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित सूचना।

चूंकि अधोहस्ताक्षरी, **हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (HHFL) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित तिथियों के अनुसार सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत मांग सूचनाएं जारी कर चुके हैं, जिनके माध्यम से नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/जमानतदार (व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से "दायित्वधारक" कहलाएंगे)/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधियों को संबंधित मांग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने हेतु कहा गया था। उक्त सूचनाओं की प्रतियां पंजीकृत डाक ए.डी. द्वारा प्रेषित की गई हैं तथा अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं। संबंधित दायित्वधारक/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि यदि चाहें, तो किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरी से उनकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संदर्भ में, संबंधित दायित्वधारकों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को पुनः सूचित किया जाता है कि वे संबंधित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर, अपने-अपने नामों के समक्ष नीचे दर्शाई गई राशि HHFL को अदा करें। साथ ही, नीचे स्तंभ (d) में उल्लिखित तिथियों से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक देय आगे का ब्याज, ऋण अनुबंध तथा संबंधित अन्य दस्तावेजों/लेखों के अनुसार भी अदा करें। ऋण की विधिवत पुनर्भुगतान की सुरक्षा हेतु, निम्नलिखित सुरक्षित परिसंपत्तियां संबंधित दायित्वधारकों द्वारा HHFL के पक्ष में बंधक रखी गई हैं।

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारक/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	नीचे दी गई तिथि के अनुसार कुल बकाया राशि (रु.)	मांग सूचना दिनांक / एनपीए दिनांक
HHFNSPLAP 23000037409	हरिंदर पाल सिंह, माया देवी, वेद पाल	रु. 15,83,879/- दिनांक 11-06-2026 के अनुसार देय	16-06-2026 / 04-06-2026

सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरणः- संपत्ति संख्या 37 का प्रथम एवं द्वितीय तल का संपूर्ण भाग, छत/टेरेस के अधिकारों के बिना, प्रत्येक तल का क्षेत्रफल 50 वर्ग गज अर्थात 41.805 वर्ग मीटर, खसरा नं. 56 से, **ग्राम अंबरहाई की पुरानी लाल डोरा आबादी में स्थित, एमसीडी कम्युनिटी हॉल के निकट, सेक्टर-19, द्वारका, नई दिल्ली। सीमाएं निम्नानुसार हैं : पूर्व :** अन्य की संपत्ति, **पश्चिम :** फिरनी रोड, **उत्तर :** अन्य की संपत्ति, **दक्षिण :** सड़क।

* संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित दर के अनुसार आगे का ब्याज, अतिरिक्त ब्याज तथा भुगतान और/या वसूली की तिथि तक हुए आनुषंगिक व्यय, लागत, शुल्क आदि भी देय होंगे। यदि संबंधित दायित्वधारक/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधि उपर्युक्तानुसार HHFL को भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो HHFL उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमों के अंतर्गत उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। ऐसी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले समस्त व्यय एवं परिणामों का जोखिम संबंधित दायित्वधारक/कानूनी वारिस/कानूनी प्रतिनिधियों का होगा।

संबंधित दायित्वधारकों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत यह निषिद्ध किया जाता है कि वे HHFL की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों/अचल संपत्तियों का विक्रय, पट्टा अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरण न करें। अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला अथवा उल्लंघन में सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति अधिनियम के अनुसार कारावास और/या दंड का भागी होगा।

दिनांक : 18-06-2026
स्थान : दिल्ली

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ओर से एवं उसके लिए

"प्रपत्र सं. आईएनसी-26"
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]
केन्द्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली) उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में
और
फॉर्च्यून प्रोपटेक प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 2रा तल, एस-2, पॉकेट एस, ओखला, फेज-2, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110020 पर स्थित है, के मामले में
.....आवेदक

एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से बदलकर "उत्तर प्रदेश राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 26 मई, 2026 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदक कंपनी केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय क) के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे अपनी आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा उसके नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को उनके पतेः बी-2 विंग, 2 रा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजेः
2रा तल, एस-2, पॉकेट एस, ओखला, फेज-2, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110020

आवेदक की ओर से और उनके लिए
फॉर्च्यून प्रोपटेक प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
(अक्षत अग्रवाल)
निदेशक
DIN:03643418

दिनांकः 17-06-2026
स्थानः दिल्ली
पताः डी-59, कमला नगर, आगरा-282005

क्विंट डिजिटल लिमिटेड

CIN: L63122DL1985PLC373314
पंजीकृत कार्यालयः 403 प्रभात किरण, 17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली-110008, दूरभाषः 011-45142374
कॉर्पोरेट कार्यालयः कारनौस्टी बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 1, 9वीं मंजिल, सेक्टर 16ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301
दूरभाषः 0120-4751818, वेबसाइटः www.quintdigital.in; ईमेलः cs@thequint.com

सूचना
भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमैटरियलाइजेशन (डीमैट) के लिए विशेष विंडो

प्रिय सदस्यों,
हमारे पिछले विज्ञापनों के आगे की कड़ी में, जिनमें से नवीनतम 18 अप्रैल, 2026 को प्रकाशित हुआ था, हम यह दोहराना चाहते हैं कि सेबी के परिपत्र सं. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 दिनांक 30 जनवरी, 2026 के अनुसार, भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमैटरियलाइजेशन (डीमैट) के लिए एक विशेष विंडो 5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए फिर से खोल दी गई है। यह विशेष विंडो सुविधा उन भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमैटरियलाइजेशन ("डीमैट") को जमा करने के लिए उपलब्ध है, जिन्हें 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेचा या खरीदा गया था। कृपया इसे जमा करने की पात्रता के विवरण के लिए नीचे दी गई तालिका देखेंः

हस्तांतरण विलेख के निष्पादन की तिथि	क्या 01 अप्रैल, 2019 से पहले हस्तांतरण के लिए जमा किया गया था?	क्या मूल प्रतिभूति प्रमाणपत्र उपलब्ध है?	क्या वर्तमान विंडो में जमा करने के पात्र हैं?
1 अप्रैल, 2019 से पहले	नहीं (यह नया जमा/फ्रेश लॉजमेंट है)	हाँ	हाँ
1 अप्रैल, 2019 से पहले	हाँ (इसे पहले अस्वीकार/वापस कर दिया गया था)	हाँ	हाँ
1 अप्रैल, 2019 से पहले	हाँ	नहीं	X
1 अप्रैल, 2019 से पहले	नहीं	नहीं	X

कृपया ध्यान दें कि केवल उन्हीं अनुरोधों पर इस विशेष विंडो के तहत विचार किया जाएगा जिनके साथ मूल प्रतिभूति प्रमाणपत्र, हस्तांतरण विलेख और प्रासंगिक सहायक दस्तावेज संलग्न होंगे। इस प्रकार हस्तांतरित की गई प्रतिभूतियां अनिवार्य रूप से केवल डीमैट मोड में ही हस्तांतरिती के खाते में क्रेडिट की जाएंगी और हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन में रहेंगी। उक्त लॉक-इन अवधि के दौरान ऐसी प्रतिभूतियों को हस्तांतरित/ग्रहणाधिकार-चिह्नित /गिरवी नहीं किया जा सकेगा।

उपरोक्त मामले में किसी भी प्रश्न के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए किसी भी पते पर कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से संपर्क करेंः

क्विंट डिजिटल लिमिटेड सेवा में, कंपनी सचिव, पता- 403, प्रभात किरण, 17, राजेंद्र प्लेस, दिल्ली, 110008 ईमेलःcs@thequint.com	स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यूनिटः क्विंट डिजिटल लिमिटेड पता- ए-506, दत्तानी प्लाजा, अंधेरी कुर्ला रोड, सफेद पूल, अंधेरी - ईस्ट, मुंबई- महाराष्ट्र 400072 ईमेलः pravin.cm@skylinerta.com

क्विंट डिजिटल लिमिटेड की ओर से
हस्ता/-
तरुण बेलवाल
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
सद. सं.: A39190

दिनांकः 17 जून, 2026
स्थानः नोएडा

जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)

पंजीकृत कार्यालय : स्टर्लिंग सेंटर, 401-407, चतुर्थ तल, डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल के सामने, अंधेरी कुर्ला रोड, चकला, अंधेरी ईस्ट, मुंबई-400093 सीआईएन : L99999MH1992PLC066213
(माननीय एनसीएलटी, के दिनांक 26 नवंबर, 2024 के आदेश के अनुसार परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रही एक कंपनी)

ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना
दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 एवं उसके तहत बने नियमों के अंतर्गत नोटिस

अधोहस्ताक्षरी द्वारा आम जनता को ई-नीलामी की सूचना दी जाती है, जिसमें **जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड** (परिसमापन में) **("कॉर्पोरेट देनदार")** के स्वामित्व वाली आस्तियों (नीचे दी गई तालिका में वर्णित) की बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की जाती हैं, जो कॉर्पोरेट देनदार की परिसमापन संपत्ति का हिस्सा हैं। यह नीलामी दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 **("आईबीसी")** के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार, 'जैसा है, जहां है', 'जैसा है, जैसा है', 'जो कुछ भी है', 'बिना किसी सहारा के' आधार पर और बिना किसी प्रतिनिधित्व, वारंटी या क्षतिपूर्ति के की जा रही है।

यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा पर **https://ibbi.baanknet.com** ("ई-नीलामी प्लेटफॉर्म") पर ई-नीलामी प्लेटफार्म BAANKNET (पूर्व में eBKray) **https://ibbi.baanknet.com** के माध्यम से आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 32 और परिसंपत्ति बिक्री प्रक्रिया ज्ञापन दिनांकित 18 जून, 2026 ("एएसपीएम") के अनुसार संचालित की जाएगी। सभी संभावित बिडर्स से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि सभी ग्राह्यता दस्तावेज और धरोहर राशि जमा एएसपीएम के क्लॉज 4 (ग्राह्यता दस्तावेज) में वर्णित दस्तावेज जमा की अपेक्षाओं के अनुसार ही जमा किए जाने चाहिए और केवल ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर ही जमा किए जाने चाहिए।

ई-नीलामी के लिए महत्वपूर्ण तिथियों की अनुसूची	
ई-निलामी प्लेटफॉर्म पर पात्रता दस्तावेज और धारा 29ए वचनपत्र जमा करने हेतु अंतिम तिथि एवं समय	शुक्रवार, 03 जुलाई, 2026, शाम 5:00 बजे (UTC+5:30)
ई-निलामी प्लेटफॉर्म पर धरोहर राशि ("ईएमडी") जमा करने हेतु अंतिम तिथि और समय	शुक्रवार, 03 जुलाई, 2026, शाम 8:00 बजे (UTC+5:30)
ई-नीलामी की तिथि और समय	सोमवार, 06 जुलाई, 2026, सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (UTC+5:30)
अंतिम बिक्री प्रतिफल के भुगतान हेतु अंतिम तिथि	अधोहस्ताक्षरी द्वारा अंतिम बिक्री प्रतिफल के भुगतान के लिए मांग पत्र जारी करने के साठ (60) दिन के भीतर

क्र. सं.	संपत्ति विवरण	संपत्ति आईडी	निलामी आईडी	आरक्षित मूल्य* (रुपये में)	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	वृद्धिशील मूल्य
	दिल्ली में मौजूद ग्राउंड सपोर्ट उपकरण और वाहन	3804, 3805, 3806, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813 and 3996	3937	3,99,48,521	39,94,852	20,00,000

* करों, उप-करों, प्रभारों, शुल्कों, हस्तांतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, प्रीमियम और बिक्री पूरी करने के लिए सभी लागू आवश्यक खर्चों को छोड़कर, जिसका अधिक विशिष्ट वर्णन एएसपीएम के क्लॉज 19 (लागतें, खर्चे और कर अनिवार्यताएं) में किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई प्रतिनिधित्व, वारंटी और क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जाएगी (जैसाकि संबंधित एएसपीएम'स के व्याख्यायित किया गया है)।

महत्वपूर्ण टिप्पणियांः
1. ऊपर बताई गई संपत्तियों के लिए BAANKNET पोर्टल पर ई-नीलामी आयोजित की जाएगी।
2. यह बिक्री सूचना संबंधित एएसपीएम के साथ पढ़ी जाएगी, जिसमें परिसंपत्तियों का विवरण, घोषणाएं, शपथ पत्र और आईबीसी की धारा 29ए के तहत पात्रता के लिए वचनबद्धताएं, और 'ई-नीलामी बिक्री के सामान्य और तकनीकी नियम और शर्तें' शामिल हैं, जो https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/auc-listing पर BAANKNET पर उपरोक्त आस्ति और नीलामी आईडी'ज के समक्ष अथवा कार्पोरेट देनदार की वेबसाइट **www.jetairways.com** पर उपलब्ध हैं।
3. संभावित बोलीदाताओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर एसपीएम के क्लॉज 4 के अनुसार केवल ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपेक्षित पात्रता दस्तावेज और ईएमडी जमा करनी होगी तथा परिसमापक के पास नहीं।
4. ई-नीलामी प्लेटफार्म तथा दस्तावेज और ईएमडी जमा के संबंध में किसी भी प्रश्न के लिए संभावित बोलीदाताओं से BAANKNET से 91 8291220220 पर और support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है।
5. ई-नीलामी के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया परिसमापक के अधिकृत प्रतिनिधि **श्री श्लोक नंदनपवार** (91-8208503693) से **jetliquidation@in.ey.com** और **liquidation.jet@gmail.com** पर "ग्राउंड सपोर्ट एसेट की बिक्री - दिल्ली" सब्जेक्ट लाइन के साथ संपर्क करें। कृपया ध्यान दें कि ग्राह्यता दस्तावेज और बिड से जुड़ा कोई भी दस्तावेज परिसमापक, उनके प्रतिनिधि या उनके सलाहकार के पास जमा नहीं करना है।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सूचना बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए अधोहस्ताक्षरी या जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड (परिसमापन में) की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व सृजित नहीं करती है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अंतिम होगा और सभी संभावित बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां और संबंधित एएसपीएम'स में दी गई परिसंपत्तियों का विवरण केवल सामान्य संदर्भ के लिए है। इंडेम्निफाइड पार्टीज (जैसा कि संबंधित एएसपीएम में बताया गया है) स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती हैं और परिसंपत्तियों के विवरण या दशा में किसी भी तरह की कमी/गलती/अंतर/गलतबयानी/चूक/बदलाव/कमी या गलती के लिए उनकी कोई देयता या जिम्मेदारी नहीं होगी, चाहे ऐसी गड़बड़ी ई-नीलामी के पूरा होने से पहले, उसके दौरान या बाद में पता चले। परिसंपत्तियों की बिक्री पूरी तरह से 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', 'जैसा है वैसा है' और 'कोई रिकोर्स नहीं' के आधार पर और बिना किसी प्रतिनिधित्व, वारंटी या क्षतिपूर्ति के की जा रही है।
8. अंतिम बिक्री प्रतिफल का भुगतान एएसपीएम के क्लॉज 15 (अंतिम बिक्री प्रतिफल का भुगतान) और 16 (बिक्री का पूरा होना) में बताई गई समयसीमा, ब्याज प्रावधानों और जब्ती की शर्तों के अधीन है।
9. परिसमापक को सीओसी की सलाह के अनुसार, लागू कानून के तहत दिए गए प्रावधान को छोड़कर, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पर ई-नीलामी प्रक्रिया को निरस्त या समाप्त करने का अधिकार है।

हस्ता./-
सतीश कुमार गुप्ता
जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के परिसमापक
IP पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P00023/2016-17/10056
एएफए नंबर - AA1/10056/02/311226/108454
एएफए वैधता : 31 दिसम्बर, 2026 तक
ईमेल - liquidation.jet@gmail.com

दिनांकः 18.06.2026
स्थानः मुंबई

फॉर्म नं. एनसीएलटी. 3ए
नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल,
नई दिल्ली बेंच (कोर्ट नं. VI) के समक्ष
सीए(सीएए)-4/एनडी/2026 में
सीपी(सीएए)-31/एनडी/2026
कम्पनी अधिनियम, 2013 के विषय में
और
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232
तथा अन्य लागू प्रावधानों के विषय में
तथा
ग्लाइड केम प्राइवेट लिमिटेड
(याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 1/हस्तांतरणकर्ता कंपनी)
और
नैनज मेड साइंस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
(याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 2/हस्तांतरिती कंपनी)
तथा
उनके संबंधित शेयरधारकों
के बीच
समामेलन की योजना के विषय में

1. **ग्लाइड केम प्राइवेट लिमिटेड**, एक कंपनी, जो कंपनीज एक्ट, 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, CIN: U24211DL1998PTC094129, रजिस्टर्ड पताः 42/1 पहली मंज़िल, ब्लॉक ए, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1, नारायणा इंडस्ट्रियल एस्टेट, दिल्ली, 110028, PAN: - AAACG9039L, फोन नंबरः 9805070502, ईमेलः finance@nanzpharma.com
.....याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 1/हस्तांतरणकर्ता कंपनी
2. **नैनज मेड साइंस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड**, एक कंपनी, जो कंपनीज एक्ट, 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, CIN: U24100DL2006PTC156756, रजिस्टर्ड पताः सी-168 ग्राउंड फ़्लोर, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1, नारायणा इंडस्ट्रियल एस्टेट, दिल्ली, 110028, PAN: AACCN5552B, फोन नंबरः 9805070502, ईमेलः finance@nanzpharma.com
.....याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 2/हस्तांतरिती कंपनी

याचिका की सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के अधीन 14.05.2026 को ग्लाइड केम प्राइवेट लिमिटेड(याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 1/हस्तांतरणकर्ता कंपनी) और नैनज मेड साइंस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड (याचिकाकर्ता कंपनी नंबर 2/हस्तांतरिती कंपनी) और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच समायोजन की योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच (कोर्ट नं. VI) के समक्ष प्रस्तुति दी थी तथा कथित याचिका नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच (कोर्ट नं. VI) के समक्ष **27.08.2026** को सुनवाई के लिए निश्चित हुई है।

कथित याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को उसके आशय की सूचना, उसके या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित, उसके नाम और पते के साथ याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को याचिका की सुनवाई के लिए तय तारीख से दो दिन पहले भेजना चाहिए। जहां आप कथित याचिका का विरोध करना चाहते है, निषेध के कारणों या शपथपत्र की प्रति को ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। याचिका की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रति के इच्छुक किसी व्यक्ति को उसके के लिए निर्धारित प्रभारों की अदायगी पर प्रस्तुत की जाएगी।

ह./-
श्री धृतिमान भट्टाचार्य/सुश्री दीति ओझा,
वकील, यूनिटी लीगल
एस 369, जीके 2, नई दिल्ली 110048
9818499377/9650806620/011-41435356
dhritiman.bhattacharyya@unitylegal.com/deeti.ojha@unitylegal.com

दिनांकः 17 जून, 2026

---

newgen

न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

सीआईएन : L72200DL1992PLC049074
पंजीकृत कार्यालयः ई-44/13 ओखला फेज-II, नई दिल्ली-110020, भारत
ई-मेलः investors@newgensoft.com यूआरएलः https://newgensoft.com
फोनः (+91)-11-46533200, (+91)-11-26384060,
फैक्सः (+91)-11-2638 3963

विडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों के द्वारा आयोजित की जाने वाली 34वीं वार्षिक आम बैठक, रिकार्ड तिथि और अंतिम लाभांश के संबंध में सूचना

कंपनी के सदस्यगण कृपया नोट करें कि

1. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 03/2025 दिनांक 22 सितम्बर 2025 और भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित कामकाज के निष्पादन के लिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 24 जुलाई, 2026 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी)/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों (ओएवीएम) के द्वारा आयोजित की जाएगी। 34वीं एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।
2. उपरोक्त परिपत्रों के अनुसरण में एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएंगी जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। सदस्यगण कृपया नोट करें कि सूचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट https://newgensoft.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होंगी। 34वीं एजीएम की सूचना लागू नियमों और उपरोक्त कथित परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों को उचित समय में उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जाएगी।
3. वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए वेबलिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरीज के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है।
4. सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित एवं भाग ले सकते हैं जिसका ब्यौरा एजीएम की सूचना में कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

ई-मेल पता/इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रिया

5. डीमटेरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क करके अपना ई-मेल पता/इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट पंजीकृत/अपडेट कराएं। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने कंपनी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के आरटीए को हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 उपलब्ध कराकर इसे पंजीकृत/अपडेट कराएं। सदस्यगण फोलियो नम्बर, सदस्य का नाम एवं पता, पैन, ई-मेल पता, मोबाइल नम्बर आदि सहित सभी विवरण दर्शाते हुए हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 की प्रति के साथ कंपनी/आरटीए को क्रमशः investors@newgensoft.com / einward.ris@kfintech.com पर भी लिख सकते हैं।
6. भौतिक प्रारूप से शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट को अपडेट नहीं किया है वे हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 को निर्धारित दस्तावेजों के साथ कंपनी/आरटीए को क्रमशः investors@newgensoft.com / einward.ris@kfintech.com पर भेजकर अपना इलेक्ट्रॉनिक बैंक मेंडेट पंजीकृत करा सकते हैं।
7. विकल्पतः सदस्य वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग निर्देश भेजने के लिए अपना ई-मेल पता, मोबाइल नम्बर, पैन की स्व-सत्यापित प्रति एवं इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में क्लाइंट मास्टर कॉपी और भौतिक फोलियो के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति सहित हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी के साथ einward.ris@kfintech.com या investors@newgensoft.com पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया

8. कंपनी एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली (ई-वोटिंग) के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है। एजीएम की सूचना में रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया दी गई है।

अंतिम लाभांश

9. सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 6 प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात रु. 10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य पर 60 प्रतिशत) अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अंतिम लाभांश हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 17 जुलाई, 2026 निर्धारित की है। सेबी परिपत्र दिनांक 3 नवंबर 2021 (बाद में मास्टर परिपत्र दिनांक 7 मई 2024 द्वारा संशोधित) के अनुसार यह अनिवार्य किया गया है कि 1 अप्रैल 2024 से सिक्योरिटी होल्डरों (भौतिक प्रारूप में प्रतिभूतियां रखने वाले) को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया जाएगा। ऐसा भुगतान केवल पैन, नामांकन का विकल्प, मोबाइल नंबर सहित संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा
10. आयकर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") के अनुसार लाभांश आय सदस्यों की तरफ कर योग्य है और कंपनी को आईटी एक्ट में निर्धारित अनुसार सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती ('टीडीएस') काटना आवश्यक है। सामान्य तौर पर, टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीपी के साथ आईटी अधिनियम के अनुसार अपनी आवासीय स्थिति, पैन और श्रेणी को वर्णित और/या अपडेट करें या यदि शेयर भौतिक प्रारूप में है तो कंपनी/रजिस्ट्रार के पास पहले नामित सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लिखित अनुरोध के साथ उपरोक्त दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों को ई-मेल einward.ris@kfintech.com पर भेजें। इसकी विस्तृत प्रक्रिया कंपनी की वेबसाइट https://newgensoft.com/company/investor-relations/#corporate-governance. पर उपलब्ध है।
11. यह सार्वजनिक सूचना एमसीए और सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं हितलाभ के लिए जारी की जा रही है।

कृते न्यूजेन साफ्टवेयर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड
के लिए और उसकी ओर से
हस्ता/-
अमन मौर्या
कंपनी सचिव

दिनांकः 17.06.2026
स्थानः नई दिल्ली